

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 541 / 2013
संस्थान दिनांक 25.09.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आबकारी विभाग वृत्त अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

हिरदाराम पिता छितर धनगर
आयु 43 वर्ष, निवासी-ग्राम आवली
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 06.11.2015 को घोषित)

1. आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 270 / 2013 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 25.09.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 13.09.2013 को समय प्रातः 09:00 बजे, अंजड़-बड़वानी मार्ग, अंजड़ में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के दो थैलियों में 50-50 क्वाटर कुल 100 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन के वाहन मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर क्रमांक एम.पी. 09 जे.आर. 9017 में परिवहन करते हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 13.09.2013 को आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अंजड़-बड़वानी मार्ग एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से अवैध मदिरा का परिहवन करते आ रहा है तब उपस्थित साक्षियों को तलब कर सूचना से अवगत कराया एवं साक्ष्य में सहयोग मांगा तब साक्षियों ने अपनी सहमति दी तब कुछ समय पश्चात् बड़वानी की ओर से एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से आते दिखा जिसे रोककर रोका तथा उस व्यक्ति से उसका नाम पूछने पर हिरदाराम निवासी आवली बताया। चालक व मोटरसाईकिल की तलाशी लेकर तलाशी ली गई जिसमें मोटरसाईकिल पर दौ थैलिया रस्सी से बंधी पाई गई जिनमें एक-एक गत्ते में 50-50 क्वाटर कुल 100 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन के पाये गये। प्रत्येक से 6-6 क्वाटर लेकर विधिवत जाँच करने पर देशी मदिरा प्लेन होना पाया तथा पेटियों को ए एवं बी से मार्क किया गया व साक्षियों के समक्ष सीलबंद किया गया। पूछे जाने पर अभियुक्त के पास कोई परमिट नहीं होना पाया गया। आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा अभियुक्त को रोककर साक्षियों के समक्ष रोक पंचनामा प्रदर्शपी 1 बनाया। साक्षियों के समक्ष अभियुक्त एवं मोटरसाईकिल की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। अभियुक्त के पास जप्त मदिरा की जाँच कर परीक्षण पंचनामा प्रदर्शपी 3 बनाया। अभियुक्त से देशी मदिरा प्लेन के 100 क्वाटर एवं मोटरसाईकिल जप्त कर प्रदर्शपी 4 का जप्ती पंचनामा बनाया व अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 5 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। साक्षियों के समक्ष नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 बनाया व अभियुक्त एवं जप्त मदिरा मोटरसाईकिल सहित आबकारी कार्यालय लाकर प्रकरण पंजीबद्ध कर साक्षीगण मुकेश एवं आबकारी आरक्षक इरफान के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त दिनांक 13.09.2013 को समय प्रातः 09:00 बजे, अंजड़-बड़वानी मार्ग, अंजड़ में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के दो थैलियों में 50-50 क्वाटर कुल 100 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन के वाहन मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर क्रमांक एम.पी. 09 जे.आर. 9017 में परिवहन करते हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.1), मुकेश (अ.सा.2), आबकारी आरक्षक इरफान (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान अ.सा. 1 ने अपने कथन में बताया कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना दिनांक 13.09.13 की है। प्रातः 10 बजे वह आबकारी कार्यालय अंजड़ से गश्त के लिए गया था। गश्त के दौरान उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि हिरदाराम नामक व्यक्ति निवासी आवली का मोटरसाईकिल में अवैध मदिरा लेकर अंजड़ की ओर आ रहा है तो वह अपने स्टॉफ के साथ अंजड़-बड़वानी मार्ग पर मिर्ची मिल के सामने खड़ा हो गया तथा रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति मुकेश को रोककर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया, तब मुकेश ने उसे बताया कि वह हिरदाराम को पहचानता है तथा साक्ष्य हेतु अपनी सहमति उसे दी। थोड़ी देर बाद बड़वानी की ओर से मोटरसाईकिल से अभियुक्त आता दिखाई दिया, जिसे रोककर सूचना से अवगत कराया तथा रोकने का पंचनामा प्रदर्शपी का बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद उसने हिरदाराम तथा उसकी मोटरसाईकिल की तलाशी ली। मोटरसाईकिल पर गत्ते की दो पेटियाँ थैली में बांधकर रखी थी, उसे खोलकर तलाशी लेने पर एक-एक पेटि में 50-50 क्वाटर देशी मदिरा के प्रत्येक 180 मिली लीटर के थे तथा कुल 100 क्वाटर में 8 बल्क लीटर मदिरा पाई गई। उसने अभियुक्त का तलाशी पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके

ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त के पास से अवैध मदिरा में से प्रत्येक पेटी में से नमूना 6-6 क्वाटर निकाला जिसे ए-1 व बी-1 मार्क किया, जिसका परीक्षण करने पर उसमें भरे रंगीन पारदर्शी तरल पदार्थ को देशी मदिरा होना पाया तथा चखकर लिटमस पेपर डालकर व यंत्रों द्वारा चेक करने पर ही देशी मदिरा प्लेन होना बताया तथा उसका परीक्षण पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त से उक्त अवैध मदिरा व मोटरसाईकिल, दो थैली तथा रस्सी अभियुक्त के कब्जे से प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त की जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 का बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल पर साक्षी मुकेश एवं इरफान के कथन उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किये तथा अभियुक्त एवं मदिरा को लेकर आबाकरी कार्यालय अंजड़ आया।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि इरफान उसके कार्यालय में आरक्षक है जो उसके साथ पदस्थ है। उसने साक्षी मुकेश को सूचना पत्र देकर नहीं बुलाया था। वह वही से गुजर रहा था। उसने अभियुक्त को तलाशी देने के पूर्व स्वयं की तलाशी नहीं दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के आधिपत्य से कोई मदिरा जप्त नहीं की थी। साक्षी इस सुझाव से इंकार किया कि उसने वाहन मालिक मुकेश को बचाने के लिए मिथ्या प्रकरण बनाया है अथवा उसने अभियुक्त से प्राप्त तरल पदार्थ का असत्य प्ररीक्षण किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

9. आरक्षक इरफान असा 3 ने भी अभियुक्त को पहचानने एवं नफीस एहमद खान के साथ गश्त पर जाने और अभियुक्त की तालाशी लेने पर उसकी मोटरसाईकिल के पीछे से 2 पेटी प्लेन के देशी मदिरा जप्त नफीस एहमद खान द्वारा करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 2 से 6 तक के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को पहले से ही जानता था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने परिवादी के कहने से हस्ताक्षर किये हैं अथवा उसके सामने अभियुक्त से कोई भी मदिरा जप्त नहीं हुई थी अथवा वह परिवादी के कहने पर असत्य कथन कर रहा है।

10. मुकेश असा 2 अभियुक्त से उक्त मदिरा जप्त करने का स्वतंत्र साक्षी है, लेकिन उक्त साक्षी ने अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। साक्षी का यह कथन है कि 3 वर्ष पूर्व अभियुक्त उससे वाहन मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर क्रमांक एम.पी. 09 जे.आर. 9017 मांग कर ले गया था और बाद में अभियुक्त ने उसे बताया कि वाहन पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। साक्षी ने केवल प्रदर्शपी 1 से 6 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, लेकिन उसके सामने अभियुक्त से कोई जप्ती होने से स्पष्ट इंकार किया है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त की जमानत करवाई थी और अभियुक्त उसकी जान पहचान का है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त के पक्ष में असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 से 8 के जिन पंचनामों पर हस्ताक्षर किये थे, उस समय वह कोरे थे, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। वह जब मोटरसाईकिल लेने गया था तब आबकारी विभाग वालों ने उसके हस्ताक्षर कोरे दस्तावेजों पर करवाये थे।

11. ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामों के एकमात्र स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। और वह पूर्णतः पक्षविरोधी रहा है। नफीस एहमद खान असा 1 तथा इरफान असा 3 के कथनों में भी इस संबंध में विरोधाभास है। इरफान असा 3 ने सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान पंचसाक्षी मुकेश जो कि वाहन मालिक है, के उपस्थित होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और यह प्रमाणित नहीं होता है कि नफीस एहमद खान असा 1 ने अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त वाहन मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर क्रमांक एम.पी. 09 जे.आर. 9017 में रखी हुई 2 पेटियों में 100 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन जप्त की थी। अतः अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त हिरदाराम के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त परदेशी को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा दो थैलियों में 50-50 क्वाटर कुल 100 क्वाटर प्लेन मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे तथा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा क्रमांक एम.पी. 09 जे.आर. 9017 को दिनांक 19.02.2014 को उसके पंजीकृत स्वामी मुकेश पिता औंकार निवासी-ग्राम धनोरा, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी